BULANDSHAHR POLICE

दिनांक - 18 फरवरी, 2024 **थाना सलेमपुर**

विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में फर्जी आन्सवर-की को सही बताकर बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी आन्सवर-की की फोटो कॉपियां, 68,380 रुपये नकद व अन्य कागजात बरामद ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 18.02.2024 को थाना सलेमपुर पुलिस व स्वाट टीम देहात द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में फर्जी आन्सवर-की को सही बताकर बेचने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को सर्वेदय् इंटर कालेज सलेमपुर के पास से फर्जी आन्सवर-की की फोटो कॉपियां, 68,380 रुपये नकद व अन्य कागजात सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं- 34/24 धारा 420/468 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तोंका नाम पता-

1. कृष्ण कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम भमरौला थाना गभाना जनपद अलीगढ।
2. दिलावर सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी ग्राम खखूंदा थाना अहमदगढ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरणः-

1. 01 वोटर कार्ड, 01 पेन कार्ड, 01 एनपीएस कार्ड, 01 आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड,, 01 सेन्ट्र बैंक डेबिट कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसैंस, 01 आईडी कार्ड यूपी पीएसी, 01 परीक्षा केन्द्र स्लिप रानी (F), 01 निलंबन आदेश सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा, 04 फर्जी आन्सवर की फोटो कॉपी, 03 स्कीन शॉट, 03 मोबाइल
2. 68,380 रुपये नकद

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके द्वारा विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में फर्जी आन्सवर की को सही बताकर भोले भाले अभ्यार्थियों को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है। अभियुक्तों द्वारा फर्जी आन्सवर की बेचने के लिए मैसेन्जर व इन्स्टाग्राम का भी प्रयोग किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा में वर्ष 2019 बैच का सिपाही था जिसके विरुद्ध जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना पर मुअस 498/2023 धारा 3/9, 7/10 परीक्षा अधिनियम व 66 सी आईटी एक्ट पंजीकृत है जिसमें वह जेल भी जा चुका है, जिस कारण से उसे 28.10.2023 को निलम्बित कर दिया गया था।

अभियुक्त कृष्ण कुमार का आपराधिक इतिहास-

1. मुअस 498/2023 धारा 3/9, 7/10 परीक्षा अधिनियम व 66 सी आईटी एक्ट थाना गभाना जनपद अलीगढ।
2. मुअसं- 34/24 धारा 420/468 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त दिलावर सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 34/24 धारा 420/468 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम देहात-

1. निरीक्षक श्री संजय वर्मा प्रभारी स्वाट टीम देहात।

2- उ0नि0 वरुण कुमार।

3- है0का0 महेश उपाध्याय, है0का0 अरुण कुमार, है0का0 सर्मेन्द्र कुमार,का0 मनीष कुमार, का0 रोहित कुमार, का0 संदीप कुमार।

थाना सलेमपुर पुलिस टीम-

1. श्री पम्मी चौधरी थाना प्रभारी सलेमपुर
2. उ0नि0 सौरभ शर्मा, उ0नि0 रुपेन्द्र सिंह
3. का0 पिन्टू, का0 अजय कुमार, म0का0 रुचि

मीडिया सेल, बुलंदशहर